न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:– 06/2016 (रेफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर (लैण्ड होल्डर)

.....प्रार्थी

बनाम

1. शिवराम पुत्र यादी जाति जाटव निवासी बबेखर तहसील भुसावर
2. बलवीर पुत्र मानसिह जाति ठाकुर निवासी बबेखर तहसील भुसावर
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह जाति ठाकुर निवासी बबेखर तहसील भुसावर
4. नरेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह जाति ठाकुर निवासी बबेखर तहसील भुसावर
5. श्यामसिह पुत्र मानसिंह जाति ठाकुर निवासी बबेखर तहसील भुसावर
6. गोविन्द सिंह पुत्र बजरंगसिंह जाति ठाकुर निवासी बबेखर तहसील भुसावर
7. राधेश्याम पुत्र रामलाल जाति ठाकुर निवासी बबेखर तहसील भुसावर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 178/6, 178/7 रकवा क्रमशः 0.05 वीघा व 0.03 वीघा बाकै ग्राम भुसावर के विरूद्ध आवटन/नामान्तरकरण को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :

1. राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री दिनेश शर्मा वकील अप्रार्थी0।

निर्णय

दिनांक : 24.02.2021

प्रार्थी तहसीलदार द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 178/6 रकवा 0.05 वीघा, 178/7 रकवा 0.03 वीघा किस्म कदीम बाकै ग्राम बबेखर तहसील भुसावर में स्थित है। आराजी का आवंटन दिनांक 05.10.1970 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी को किया गया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 233 में दर्ज होकर अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 487 से अप्रार्थी को खातेदारी दी गई है। आराजी खसरा नम्बर 178/6 व 178/7 पर शिवराम पुत्र यादी का आवंटन दिनांक से कब्जा नहीं है। अप्रार्थी को आंवटन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

कृषि प्रयोजनार्थ हुआ था परन्तु अभी तक आवंटी द्वारा काश्त नहीं की गई है। मौके पर कच्चे/पक्के आवासीय मकान अन्य व्यक्तियों के बने हुये है। आवंटन दिनांक 05.10.1970 के बाद जमाबन्दी 2027–30 के खाता संख्या 186 पर खसरा नम्बर 178 रकबा 0.03 दर्ज है। आगामी जमाबन्दी में खसरा नम्बर 178 रकबा 0.03 आवंटी यादी के नाम तथा 0.05 वीघा रकबा 174 के स्थान पर खसरा नम्बर 178 मशकूकी करके खाता संख्या 95 सम्वत 2023–2026 गोविन्दसिंह के नाम गलत दर्ज किया गया है। खसरा नम्बर 178/6 व 178/7 कुल रकबा 0.08 वीघा का आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना की है।

रैफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी0 की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपने कथनों में बताया कि आराजी खसरा नम्बर 178/6 रकबा 0.05 वीघा, 178/7 रकबा 0.03 वीघा किस्म कदीम बाकै ग्राम बवेखर तहसील भुसावर में स्थित है। आराजी का आवंटन दिनांक 05.10.1970 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी को किया नामान्तरकरण संख्या 487 से अप्रार्थी को खातेदारी दी गई है। विवादित आराजी पर शिवराम पुत्र यादी का कब्जा नहीं है। अप्रार्थी को आंवटन कृषि प्रयोजनार्थ हुआ था परन्तु अभी तक आवंटी द्वारा काश्त नहीं की है। मौके पर कच्चे/पक्के आवासीय मकान अन्य व्यक्तियों के बने हुये है। खसरा नम्बर 178 मशकूकी करके खाता संख्या 95 सम्वत 2023–2026 गोविन्दसिंह के नाम गलत दर्ज किया है। खसरा नम्बर 178/6 व 178/7 कुल रकबा 0.08 वीघा का आवंटन निरस्त किया जावे। रैफरेस स्वीकार किया जाकर प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपने कथनो में जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 178/6 व 178/7 का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 05.10.1970 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये गये आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 22.11.1972 को गैर खातेदार के इन्द्राज किये गये तथा बाद में आवंटी द्वारा आवंटन आदेश की शर्तो की पालना किये जाने पर नामान्तरकरण संख्या 489 से खातेदारी दी गई। आवंटी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में काश्त सम्वत 2050 तक की जाती रही है। आवंटी को खातेदारी हो जाने के बाद आराजी खसरा नम्बर 178/6 में से 3 विस्वा रकबा अप्रार्थी संख्या 7 को बेचान कर दिया। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या 7 ने उक्त खसरा नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

178/6 जो आबादी के विस्तार के बाद आबादी के नजदीक आ गया है उसमें 25–26 ल्ल पहले वाउण्ड्री बनाकर पाताल तोड बोरिंग लगाया है पानी की टंकी लगी हुई है। देवताओं के थान बने हुये है तथा बोरिंग की देखभाल के लिये पक्के कमरे बनवा दिये है। प्रार्थी ने रैफरेंस में आवंटन आदेश दिनांक 05.10.1970 को निरस्त करने की प्रार्थना की है, जबकि आवंटन आदेश को धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है, अगर आवंटन आदेश की शर्तो की पालना नहीं हो रही है तो उस स्थिति में प्रार्थी को 14(4) भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील की कार्यवाही करनी चाहिये न कि रैफरेंस की। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने तर्को के समर्थन में आर.बी.जे. 2016 पेज 491, आर. आर..बी.जे. 2019 पेज 240, आर.जे.बी.. 2012 पेज 250, आर.जे.बी. 2017 पेज 1136 उद्धरित की गई। रैफरेस खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष के कथनो पर गौर किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत 2027–30 में खसरा नम्बर 178 रकवा 8 विस्वा यादी वल्द कजौडी कौम जाटव सा.देह गैर खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2038–2041 में यादी पुत्र कजौडी कौम जाटव गैर खातेदार साल 12, खसरा नम्बर 178 रकवा 3 विस्वा पर दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2043–2046 में यादी पुत्र कजौडी कौम जाटव खसरा नम्बर 178 रकवा 3 विस्वा खातेदार इन्तकाल नम्बर 487 दिनांक 16.05.1986 दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2047–2050 में यादी वल्द कजौडी कौम जाटव खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2055–2058 मे यादी पुत्र कजौडी कौम जाटव सा. देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 में यादी पुत्र कजौडी कौम जाटव खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2063–2066 में यादी पुत्र कजौडी कौम जाटव खातेदार दर्ज है। नकल सत्यप्रतिलिपि इन्तकाल नम्बर 233 से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता यादी वल्द कजौडी कौम जाटव को आराजी खसरा नम्बर 178 रकवा 8 विस्वा आवंटन होकर दिनांक 22.11.1972 को गैरखातेदारी दर्ज हुई। संम्वत 2031–2034 एवं 2035–2038 की जमाबन्दी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं मुताविक जमाबन्दी सम्वत 2037–2041 में यादी वल्द कजौडी खसरा नम्बर 178 रकवा 3 विस्वा गैर खातेदार साल 12 दर्ज है। इस प्रकार संवत 2027–2030 की जमाबन्दी में यादी वल्द कजौडी के नाम दर्ज 8 विस्वा रकवा संवत 2037–2041 में किस प्रकार 3 विस्वा दर्ज हो गया, स्पष्ट नहीं है और मुताविक तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

मुसावर की रिपोर्ट दिनांक 01.09.2016 से उक्त आराजी से सम्बन्धित आवंटन पत्रावली के गुर्जर आरक्षण आन्दोलन में जल गया था। प्रार्थी द्वारा आवंटी के कब्जा काश्त नहीं होने एवं मौके पर पक्के आवासीय मकान बने होने के आधार पर रैफरेंस आराजी खसरा नम्बर 178 रकबा 8 विस्वा को खारिज करने हेतु प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत 2023–2026 में खसरा नम्बर 178 (5 विस्वा) गोविन्द सिंह वल्द बजरंगसिंह कौम ठाकुर सा.देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2027–2030 मे उक्त नम्बर पर मानसिंह 5/18 गोविन्दसिंह 1/6 पि0 बजरंग सिंह कौम ठाकुर, राधेश्याम वल्द रामदयाल नाबा. बबली पित खुद कौम ब्राहमण सा.देह खातेदार है एवं उक्त खसरा नम्बर वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार उपर्युक्त रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 178 (5 विस्वा) अप्रार्थी संख्या 1 के पिता यादी वल्द कजौडी कौम जाटव को आवंटन से पूर्व ही गोविन्द वल्द बजरंग सिंह की खातेदारी मे दर्ज रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरियों मे भी खसरा नम्बर 178, रकबा 3 विस्वा पर ही यादी की काश्त का इन्द्राज है एवं खसरा नम्बर 178 (5 विस्वा) पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 की काश्त दर्ज है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 178/6. 3 विस्वा पूर्व से अप्रार्थीगण की खातेदारी में चले आने के कारण उस पर रैफरेंस स्वीकार योग्य नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 178/7 रकबा 3 विस्वा के सम्बन्ध मे यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2039–2042 एवं 2047–2051 में आवंटी की काश्त का इन्द्राज है एवं आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना के आधार पर आवंटी यादी वल्द कजौडी के नाम आराजी खसरा नम्बर 178 रकबा 3 विस्वा का खातेदारी के इन्द्राज दिनांक 16.05.1986 दर्ज किये जा चुके है। अतः उक्त आधार पर रैफरेंस स्वीकार योग्य नही बनता परन्तु भू अभिलेख निरीक्षक अलीपुर एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2016 मे 178/7 रकबा 0.03 विस्वा वाके ग्राम बबेखर मे मौके पर नवल किशोर पुत्र रामजीलाल, कमलेश पुत्र रामजीलाल कौम ब्राहमण का पक्का मकान तथा जगदीश पुत्र रामजीलाल कौम ब्राहमण द्वारा छप्परपोस एवं लकडी का ईंधन डाला हुआ होना बताया है। इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 178/7 रकबा 0.03 विस्वा शिवराम वल्द यादीराम कौम [illegible] की खातेदारी मे दर्ज है परन्तु मौके पर सवर्ण व्यक्ति काबिज है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा शेष अप्रार्थीगण के पक्ष में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज.)

विवादित आराजी का कोई हस्तान्तरण होना स्पष्ट होता है और यदि इस प्रकार का कोई हस्तान्तरण है भी तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत एबइनिशियो बोइड है। अनुसूचित जाति की जमीन पर किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति के काबिज होने पर धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रावधान है परन्तु इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही उस व्यक्ति या उस व्यक्ति के वाद पर ही की जा सकती है जो उसे आराजी के रूप में बेदखली करने के रूप में हकदार है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी शिवराम पुत्र यादराम कौम जाटव अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 178/7 पर काबिज सवर्ण व्यक्तियो को बेदखल करने के लिये 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो जिसमें उक्त आराजी पर अप्रार्थी शिवराम की सहमति से ही सवर्ण जातियों के व्यक्तियों का काबिज होना स्पष्ट होता है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों पर विचार करने के बाद रैफरेस स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थना पत्र रैफरेस उपर्युक्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी को किये गये आवंटन आदेश दिनांक 05.10.1970 बाबत 178/7 रकबा 0.03 वाकै ग्राम बबेखर तहसील भुसावर को निरस्त किया जावे एवं उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 233 व 487 ग्राम बबेखर तहसील भुसावर को शून्य होने से निरस्त किया जावें तथा 178/7 रकबा 0.03 बीघा ग्राम बबेखर तहसील भुसावर पर राजस्व रिकार्ड में हो रहे अप्रार्थी के खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किये जाने एवं खसरा नम्बर 178/7 ग्राम बबेखर तहसील भुसावर को पूर्व स्थित कदीम दर्ज किये जाने आदेश दिये जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भुसावर को प्रेषित की जावें। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 17.06.2021 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)